राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
आयुक्तालय जल ग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.10(48)/आजभूस/भण्डार/2018–19/ दिनांक

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर हेतु बोली सूचना

आईडब्लूएमपी परियोजनान्तर्गत आयुक्तालय के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन अनुमानित वार्षिक लागत रूपये 8.40 लाख एवं संख्या 07 की सेवाऐं उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाताओं से दिनांक 25.01.2019 तक खुली निविदा के माध्यम से बिड/बोली आमन्त्रित की जानी है।

क्र. सं.	बोली का विवरण	अनुमानित लागत(लाख)	बोली प्रतिभूति राशि (रू0)	बोली शुल्क (रू0)	बोली प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम दिनांक एवं समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	बोली खोलने की दिनांक एवं समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	8.40	16,800	500.00	25.01.2019 प्रातः 11.00 बजे	25.01.2019 सांय 1.00 बजे	25.01.2019 सांय 4.00 बजे

बोली का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट www.watershed.rajasthan.gov.in पर तथा pp पोर्टल पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

(सीताराम बंजारा)
अतिरिक्त निदेशक(आईडब्ल्यूएमपी)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण राजस्थान जयपुर)
क्रमांक एफ10(48)आजभूस/स्टोर/कम्पयूटर क्रय/2018–19/ **दिनांक**

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः– विज्ञप्ति प्रकाशित कराने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत पत्र के साथ खुली बोली निविदा की विज्ञप्ति संलग्न कर निवेदन है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं 50,000 प्रतियों एवं उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें। उक्त निविदा की अनुमानित लागत राशि रूपये 8.40 लाख है।

निविदा प्रकाशन के उपरांत इसका बिल आयुक्त जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण जयपुर के नाम से कमरा संख्या 144 पंत कृषि भवन में भिजवाने का श्रम करावें।

(सीताराम बंजारा)
अतिरिक्त निदेशक(आईडब्ल्यूएमपी)

क्रमांक एफ10(48)आजभूस/स्टोर/कम्पयूटर क्रय/2018–19/ **दिनांक**
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. ए.सी.पी, आयुक्तालय को भेजकर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाइट, एव स्टेट प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर नियमानुसार अपलोड कर सूचित करावें।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

अतिरिक्त निदेशक(आईडब्ल्यूएमपी)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण, राजस्थान, जयपुर
कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवा हेतु बोली आमन्त्रण सूचना पत्र
बोली प्रपत्र (तकनीकी बोली)

1	उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा का नाम	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर
2	बिड प्रस्तुत करने का माध्यम/ तरीका	खुली निविदा
3	बिड डाक्यूमेंट डाउनलोड/प्राप्त करने की अंतिम तिथि	25.01.2019 Up to 11.00 AM
4	बिड मूल्यांकन का तरीका	सफल बोली दाता की न्यूनतम राशि
5	उपापन संस्था (procuring entity)	आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राजस्थान जयपुर
6	उपापन की अनुमानित राशि	रूपये 8,40,000/–
7	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	25.01.2019 Up to 01.00 PM
8	भौतिक रूप से बोली फीस/आर. आई.एस.एल. शुल्क/बोली प्रतिभूति का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	25.01.2019 Up to 01.00 PM
9	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक एवं समय	25.01.2019 04.00 PM
10	बिडिंग डाक्यूमेन्ट फीस	रूपये 500/–
11	राजकॉम इन्फो सिस्टम लि. को देय प्रोसेसिंग फीस	रूपये 500/–
12	बोली प्रतिभूती राशि	रूपये 16,800/–
13	अनुलग्न 'ए', 'बी', 'सी' तथा 'डी'	संलग्न है/नहीं है।

बिडिग डाक्यूमेन्ट फीस तथा प्रतिभूति राशि बैंकर चैक/डी.डी. जो जयपुर मे देय हो आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राजस्थान के नाम तथा प्रोसेसिंग फीस का बैंकर चैक/डी. डी. मैनेजिग डायरेक्टर राजकाम्प इन्फो सर्विस लि. के नाम जयपुर में देय हो प्रस्तुत किया जावे।

1.बोली दाता फर्म/कम्पनी का नाम व पता	
2 . व्यक्ति का नाम जो बोली पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत है।	
3. मोबाईल नम्बर	
4. ई–मेल एड्रेस यदि हो तो	

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Rural Development & Panchayati Raj Department
Commissionerate, Watershed Development & Soil Conservation
Jaipur
(Financial Bid)

बोली दाता का नाम .....……

बोली दाता का पता .....…….

मोबाइल न. ……..

ई मेल एड्रेस …….

मैं/हम .....निविदा की शर्तो का पालन करने को तैयार है।

मैं/हम आयुक्तालय में कम्पयूटर ऑपरेटर मय कम्पयूटर की सेवायें निम्नांकित दरों पर उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान करता हूँ:–

क्र स	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	ई.पी.एफ दर प्रतिशत (13.36%)	ई.एस.आई दर प्रतिशत (4.75%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	जी.एस.टी की गणना (5+6+7) पर राशि(रू.)	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
1.	कम्पयूटर ऑपरेटर मय कम्पयूटर की सेवायें	उच्च कुशल 07	7358/- प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति						

- जी.एस.टी प्रतिशत की दर से लागू है। तदनुसार कॉलम नम्बर 9 में वास्तविक राशि दर्शायी गयी है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

बोली हेतु आवश्यक निर्देशः–

1. निविदा प्रपत्र वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in से दिनांक 16.01.2019 से डाउनलोड किये जा सकते है तथा कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।
2. बोली दाता (बोली हेतु अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) अपनी न्यूनतम दरे भौतिक रूप में दिनांक 25.01.2019 सांय 1 बजे तक कमरा नं0 165 पंत कृषि भवन, जयपुर में Single stage Double envelope प्रक्रियांतर्गत (तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग अलग लिफाफों में) प्रस्तुत करेगें। बोली शुल्क प्रतिभूति राशि तथा आर.आई.एस.एल प्रोसेसिंग शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट भौतिक रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करेगे।
3. निर्धारित दिनांक एव समय पर बोली शुल्क, प्रतिभूति राशि तथा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमान्ट ड्राफ्ट प्रस्तुत नहीं होने पर बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. सर्व प्रथम तकनीकी बोली दिनांक 25.01.2019 को सांय 4 बजे खोली जावेगी। तकनीकी बोली में सफल पाए गए बोलीदाताओं को ही वित्तीय बोली खोली जावेगी। असफल/अनुपयुक्त बोलीदाताओं की वित्तीय बोली नहीं खोली जावेगी। अतः बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे तकनीकी बोली, बोली की शर्तो के अनुसार ही भरे।
5. किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार उपापन संस्था/विभाग को सुरक्षित है।
6. बोली की वैधता 90 दिन के लिए होगी।
7. संवेदक द्वारा कार्य को सब–लेट (ub-let) नहीं किया जाएगा।
8. अनुबन्ध निष्पादन के अतिरिक्त बोली डाक्यूमेन्ट/प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी भी दायित्व के लिए उपापन संस्था/विभाग जिम्मेदार नहीं है।
9. बिडिंग डाक्यूमेन्ट मे किसी विवरण/अशुद्धि के लिय उपापन संस्था/विभाग जिम्मेदार नहीं है। बिडर की यह जिम्मेदारी है की वह स्वयं तथ्यो की अपने स्तर पर पुष्टि करले। बिडिंग डाक्यूमेन्ट की सूचनाएँ बिडर को लोजिकल बोली प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रस्तुत की गई है।
10. उपरोक्त क्रय RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के अधीन है। बिडिंग डाक्यूमेन्ट मे कोई असम्बध्दता की स्थिति मे उक्त एक्ट एवं नियमो तथा वित(G&T) विभाग के परिपत्र संख्या 01/2018 क्रमांक एफ2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के समस्त प्रावधान लागू होगे।
11. नियोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर को श्रम अधिनियम के अन्तर्गत स्किल्ड लेबर की निर्धारित न्यूनतम राशि भुगतान करना बोली दाता द्वारा बाध्यकारी होगा।
12. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948(केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बंधित संवेदक का होगा।
13. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण

प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

14. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको के बैक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भूगतान किया जायेगा।
15. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बंधित संवेदक का होगा।
16. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
17. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी.एफ एव ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ एव ई.एस. आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जावेगा।
18. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एव ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
19. संवेदक द्वारा श्रमिको को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर(GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर(GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर(GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर(GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर(GST) के सम्बंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
20. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

21. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
22. नियोजित श्रमिको को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
23. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन सस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
24. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

बोली दाता की योग्यता (Qualification/Eligibility Criteria)

1	कानूनी अस्तित्व	1. बोलीदाता द्वारा राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्थान का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जावे। 2. बोली दाता के पास श्रम विभाग द्वारा जारी कम से कम 50 व्यक्तियों तक का लाइसेन्स होना चाहिए। 3. बोली दाता के पास PANकार्ड होना चाहिए। 4. बोली दाता का GTपंजीकरण होना चाहिए।
2	वित्तीय टर्न ऑवर	1. बोली दाता द्वारा गत तीन वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में प्रतिवर्ष रूपये 30 लाख का टर्न आवर होना आवश्यक है।
3	अनुलग्नक	संलग्न अनुलग्नक 'ए', 'बी',सी 'डी' हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।(As per RTPP Rules)

प्रदायक सेवा का विवरणः–

4.	कम्प्यूटर स्पेशिफिकेशन	1. Machine Specifications A. Computer-Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer of higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Paralle & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of software licence will be borne by the contractor. b- Printer -Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer. c. Ups- Online/Offline UPS for above Computer and printer with 30 minutes battery backup.
5	Manpower	2- Manpower- The Personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/Linux enviornment, good konwledge /practice in word processor, excel sheets and Internet operations and other office related computer operations and should have suffcient speed of typing in Hindi and English.

<u>तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजः–</u>

1. प्रत्येक बोलीदाता को बोली प्रक्रिया मे शामिल होने वाले निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें :–
    1. बिडिंग डाक्यूमेन्ट फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं बिड सिक्योरिटी राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट
    2. श्रम विभाग द्वारा जारी लाइसेन्स की प्रति/अनुबन्ध के समय श्रम विभाग का लाईसेन्स प्रस्तुत करने की अन्डरटेकिंग
    3. फर्म के पैनकार्ड की प्रति
    4. GT पंजीकरण की प्रति
    5. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्थान का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति
    6. वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के सनदी लेखाकर से प्रमाणित स्टेटमेन्ट आफ अफेयर्स/बैलेन्स शीट
    7. हस्ताक्षरित बिड डाक्यूमेन्ट एवं अनुलग्नक (Annexure) 'ए', 'बी', 'सी' एवं 'डी'

बोली सूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... जो विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा एवं ई–पोर्टल पर जारी की गई है, की समस्त शर्तों का मैं/हम पालन करने के लिए सहमत हैं।

हस्ताक्षर बोली दाता
व्यक्ति/संस्था/फर्म
मय पूर्ण पता एवं टेलीफोन नं.

बोली की सामान्य शर्ते

1. बोली दो भागो में प्रस्तुत की जानी चाहिएः– 1 तकनीकी बोली, 2 वित्तीय बोली
2. तकनीकी बोली में सफल/उपयुक्त पाए गए बोली दाता की ही वित्तीय बोली खोली जावगी।
3. बोलीदाता को नियमानुसार देय बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका उल्लेख निविदा प्रपत्र (तकनीकी बोली) में होना आवश्यक है।
4. सफल बोलीदाताओं को आदेश प्राप्त होने से सात दिनो की अवधि में निर्धारित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में करार निष्पादित करना होगा, जिसका समस्त व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। करार पत्र के साथ कुल कार्य आदेश की मात्रा की पॉच प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) राशि जमा करवानी होगी, जिसमें अमानत राशि का समायोजन किया जा सकेगा।
5. सफल बोलीदाताओं द्वारा बोली की शर्तो का उल्लघंन करने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।
6. संस्था पूर्व में डिफॉल्टर एवं दिवालिया नहीं हो।
7. अनुबंध से पूर्व सफल बोलीदाता को उपयुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की सूची मय योग्यता नाम, पता एवं आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जिन व्यक्तियों के लिए विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जावेगी उन्हीं व्यक्तियों की सेवायें अनुबन्धकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
8. सेवा प्रदाता संस्था/एजेन्सी द्वारा नियोजित किसी कार्मिक के कार्य के समय या कार्य समय के उपरान्त किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने अथवा मुआवजा आदि देने की समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाता संस्था/एजेन्सी की होगी। इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
9. विभाग एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के बीच कोई भी स्वामी सेवक का सम्बन्ध नही होगा। इनका संबंध सेवा प्रदाता संस्था तक ही सीमित होगा। इनका विभाग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का संबंध नहीं होगा।
10. प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाला नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार सफल बोलीदाता द्वारा दिया जाएगा। तत्पश्चात् विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
11. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण बोली में वर्णित स्तर के अनुरुप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेशिफिकेशन के अनुरुप है। जहॉ सिस्टम विहित स्पेशिफिकेशन के स्तर के अनुरुप नहीं पाया जाएगा उसे अनुरुप कराया जाएगा।
12. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बन्द नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बन्द रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/–रूपये प्रति कम्प्यूटर की कटौती की जावेगी।
13. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोली दाता की होगी। इसके लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की सम्भावना होगी तो बोलीदाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
14. यदि कम्प्यूटर सिस्टम विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो बोलीदाता को लिखित में सूचना देकर ठीक करने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।

15. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
16. सेवा प्रदाता द्वारा हर माह की 5 तारीख तक पिछले माह का कम्पूटर ऑपरेटरों का बिल प्रस्तुत किया जावेगा ताकि भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार पूरी की जा सकें।
17. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। अतः यदि बोलीदाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
18. कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को कार्य दिवस के अलावा आवश्यक पडने पर विभाग द्वारा बुलाने पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
19. उपलब्ध करवाये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को पूर्ण भुगतान का दायित्व सेवा प्रदाता संस्था का होगा।
20. यदि उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स किसी कारण सेवाए प्रदान नहीं करता है तो सफल बोलीदाता को विभाग द्वारा सूचित करने पर 7 दिनो मे अन्य व्यक्ति की सेवाऐं उपलब्ध करानी होगी अन्यथा सफल बोलीदाता पर उचित पेनल्टी लगाए जाने का अधिकार विभाग को होगा।
21. विभाग द्वारा नियमानुसार आयकर टी.डी.एस की भुगतान मे से काटी जायेगी। जिसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र मे नियमानुसार बोलीदाता को दी जावेगी।
22. समस्त विवादो के निपटारे का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
23. प्रत्येक कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को उसके प्रत्येक माह की उपस्थिति सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करानी होगी।
24. विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सफल बोलीदाता का भुगतान रोका जा सकेगा। इस हेतु आयुक्त,जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण का ही निर्णय अंतिम होगा तथा यदि बोलीदाता इस निर्णय से असहमत है अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान जयपुर को इस निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सकेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
25. सफल बोलीदाता के माध्यम से प्रथमतः 07 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की सेवाऐं ली जायेगी जिनकी संख्या घटाई/बढाई जा सकेगी।
26. बोली को किसी भी कारण से स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकता है।
27. कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की योग्यता बोली प्रपत्र के अनुसार रहेगी।
28. सफल बोलीदाता की सेवाऐं, जिसे भविष्य में सेवाये सन्तोषजनक होने पर आवश्यकतानुसार आगे बढाया जा सकेगा आवश्यकता नही होने पर या अन्य प्रशासनिक कारणो से बिना पूर्व नोटिस किसी भी क्षण तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण को निहित व सुरक्षित होगा।
29. बोली पर अन्तिम निर्णय बोली खोलने हेतु गठित समिति की अभिशंषा पर आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण द्वारा लिया जायेगा।
30. विभाग न्यूनतम दर वाले बोली प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाध्य नहीं है। न्यूनतम बोली प्रस्ताव को स्वीकार, आंशिक स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण को होगा।
31. संविदा अनुबन्ध किए जाने की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए मान्य है। आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार उक्त अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
32. इस निमित्त वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश इस संविदा पर लागू रहेंगें।

33. सफल बोलीदाता द्वारा नियमानुसार देय पी.एफ. तथा ई.एस.आई. के अंशदान की राशि गत माह तक संबंधित विभाग में जमा कराने का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर आगामी माह का भुगतान किया जावेगा।
34. बोली दाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 की समस्त शर्तो की पालना सुनिशचित की जावेगी।
35. बोली दाता निविदा दस्तावेज में वर्णित प्रारूपों में निविदा प्रस्तुत किये जाने, निर्धारित योग्यता धारित करने, वर्णित दस्तावेज उपलब्ध कराने, निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने की सहमति देने वर्णित दिशा निर्देशों एवे बोली की शर्तो को मानने हेतु बाध्य होगा।

बोली सूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... जो विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा एवं ई–पोर्टल पर जारी की गई है, की समस्त शर्तों का मैं/हम पालन करने के लिए सहमत हैं।

हस्ताक्षर बोली दाता
व्यक्ति/संस्था/फर्म
मय पूर्ण पता एवं टेलीफोन नं.